

(b) if so, the amount released, year-wise, and the number of stadia constructed, location-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI R. DHANUSHKODI ATHITHAN): (a) and (b) Sir, during 1995-96 amounts of Rs. 10.00 lakhs and Rs. 2.50 lakhs were released for construction of a Sports Complex at Gudivada, Krishna Distt. and an Indoor Stadium at Hindupur, Distt. Ananthapur in Andhra Pradesh respectively. No assistance for construction of stadia was given during 1994-95 and 1996-97. To encourage rural sports, the Department released Rs. 11,87,041/-, Rs. 3,51,499/- and Rs. 3,81,173/- to assist 12, 4 and 4 Rural Schools during 1994-95, 1995-96 and 1996-97 respectively for purchase of sports equipments and development of playfields.

मध्य प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल

2973. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के लिए उपलब्ध होस्टलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में जिला-वार कितने स्थानों पर इस प्रकार के और होस्टलों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या नरसिंहगढ़, राजगढ़ और विदिशा के लिए भी ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) 31 अक्टूबर, 1996 तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई तथा प्रत्येक होस्टल के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा बाकी प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्पई): (क) बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्रों सहित कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवनों के निर्माण/विस्तार की सहायता स्कीम के अंतर्गत अब तक मध्य प्रदेश में 67 होस्टल स्वीकृत किए जा चुके हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे और होस्टलों के निर्माण का एक-एक प्रस्ताव भोपाल, छिन्दवाड़ा, दमोह, इन्दौर, नरसिंहपुर, रायसेन, रीवा, उज्जैन तथा पश्चिम निमाड़ से तथा म्वालियर जिले के दो स्थानों से प्राप्त हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ)

जिला	31.10.96 तक स्वीकृत प्रत्येक के लिए प्रस्तावों की संख्या	आवंटित अनुदान (लाख रुपयों में)
भोपाल	1	9.49
म्वालियर	1	18.09
इन्दौर	1	35.65
पश्चिम निमाड़	1	12.98

(ङ) एक प्रस्ताव बकाया है, जिसमें आवेदक संगठन को बताई गई कमियों में सुधार करने के लिए कहा गया है, अन्य मामलों में आवेदक संगठन स्कीम की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते थे। उन्हें तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

अहमदाबाद में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सहायक आयुक्त का कार्यालय खोलना

2974. श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधीन सहायक आयुक्त का कार्यालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या सरकार गुजरात में अहमदाबाद में सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन का कार्यालय खोलने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुक्षी राम सैकिया):

(क) सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कार्यालय किसी खास स्थान पर और इसके चारों ओर

केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या और प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के नियंत्रण की उचित दूरी को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए जाते हैं।

(ख) से (घ) जी, नहीं। सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन का एक कार्यालय गुजरात के गांधीनगर में पहले से ही कार्य कर रहा है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन सामग्री के प्रेषण में विलम्ब होना

2975. श्री अखिलेश दास: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इन्गू) का नया सत्र जनवरी, 1997 से प्रारम्भ हो चुका है;

(ख) क्या यह सच है कि छात्रों को अभी तक उनकी अध्ययन सामग्री प्रेषित नहीं हो पायी है जबकि छः माह वाले पाठ्यक्रमों की परीक्षा जून माह में होगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया):

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, अधिकांश विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री डाक द्वारा पहले ही भेजी जा चुकी है। शेष मामलों में, नामांकित विद्यार्थियों के विलुप्त विवरणों की अनुपलब्धता अथवा उनकी ओर से विषयों के गलत चयन के कारण, अध्ययन सामग्री भेजी नहीं जा सकी।

Irregularities in recruitment of K.V. Teachers in North-East region

2976. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is fact that a large number of Central Government Officers' wives are employed as teachers in Kendriya Vidyalayas of North-East region;

(b) if so, the details thereof, region-wise and category-wise;

(c) whether they have been recruited through regular annual process or locally,

through Vidyalaya Management Committee;

(d) how many of them are wives of members of Vidyalaya Management Committees or their nominees and associate officers; and

(e) the details of the local candidates rejected in preference to Central Government Officers' wives with justification in each case?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) to (c) No such date is collected and maintained by the Kendriya Vidyalaya Sangathan. Recruitment of teachers is made by the Sangathan following the rules and procedure prescribed for the purpose.

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में योग शिक्षक के पद को परिवर्तित करना

2977. श्री गोविन्दराम मिरी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन में समान अर्हताओं और शैक्षणिक योग्यता धारी योग शिक्षकों के पद को शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के पद के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय कुछ समय पूर्व लिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय के अनुसरण में कितने और किन्-किन योग शिक्षकों को शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के पद पर नियुक्ति की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड ने 26.9.86 को आयोजित अपनी 47वीं बैठक में निर्णय किया कि शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हताओं को प्राप्त करने पर योग शिक्षकों को शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के रूप में नियुक्त कर लिया जाए।

(ख) ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।